न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी, आई0ए0एस0
प्रकरण संख्या –42/2024 (प्रा0पत्र)
जीसीएमएस नं0 2024/218

अहमद रजा आत्मज सरफराज जाति मुस्लिम निवासी जकरिया कॉलोनी इन्दौर मध्य प्रदेश ।

अभियोगी

बनाम

सरकार जर्ये पुलिस थाना उद्योगनगर जिला कोटा

प्रतिपक्षी

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 150/23 पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8 राजस्थान गोवंशी पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) व 5/180 एमवी एक्ट वाहन वाहन संख्या एमपी –68–जी–0713 रिलीज करने बावत् ।

उपस्थितः–

1. श्री एस0 चावला, अभिभाषक – आवेदक प्रार्थी
2. सहा0 लोक अभियोजक –पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक–03.02.2025

1. संक्षेप में प्रकरणं इस प्रकार है कि यह प्रार्थना पत्र अहमद रजा पुत्र सरफराज निवासी जकरिया कॉलोनी मध्य प्रदेश द्वारा जर्ये अभिभापक प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 150/23** पुलिस **थाना उद्योग नगर** कोटा अपराध **अन्तर्गत** धारा 5,6,8 **राजस्थान गोवंशी पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) व 5/180 एमवी एक्ट** वाहन वाहन **संख्या एमपी –68–जी–0713** के तहत जब्त किया गया है जो इस समय थाना उद्योगनगर कोटा में जब्तशुदा है । प्रार्थी उक्त वाहन का मुख्तार आम होने से उक्त वाहन अपनी सुपुर्दगी में लेना चाहते है । अतः जब्तशुदा वाहन **संख्या एमपी –68–जी–0713** प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करें ।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अधीनस्थ पुलिस थाने से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई । वकील प्रार्थी एवं सहायक लोक अभियोजक उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
3. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के वाहन वाहन **संख्या एमपी –68–जी–0713** को थाना उद्योगनगर कोटा द्वारा जब्त किया गया है जो इस समय थाना उद्योगनगर कोटा में जब्तशुदा है । उक्त वाहन का प्रार्थी मुख्तार आम है जिसको उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का एक मात्र कानूनी अधिकार है । एफ आई आर नं0 150/2023 में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, तथा चालान भी न्यायालय में पेश हो चुका है । अतः जब्तशुदा वाहन **संख्या एमपी –68–जी–0713** की समुचित जमानत ली जाकर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

4. पेरोकार सरकार सहा लोक अभियोजन द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि थाना उद्योगनगर द्वारा गोवंश से भरे वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप M.P-68-G-0713 गोवंश से भरा होने से वजह सबूत जप्त किया था । वाहन थाना परिसर में खड़ा है । बाद अनुसंधान अभियुक्त अरूण गुजराती व अन्य के विरूद्व चालान न्यायालय पीसीपीएनडीटी न्यायालय में पेश हो चुका है । प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है । अधिनियम की धारा 6क के अन्तर्गत वाहन का निटारा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला कलक्टर है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । थानाधिकारी उद्योगनगर द्वारा गोवंश से भरे वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप M.P-68-G-0713 गोवंश से भरा होने से वजह सबूत जप्त किया था थाने से केस डायरी अप्राप्त है, किन्तु प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.01.2025 अनुसार अनुसंधान पूर्ण होकर चालान पेश हो चुका है तथा प्रकरण अभी न्यायालय पीसीपीएनडीटी कोटा में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में उक्त वाहन को रिलीज किया जाना उचित नहीं समझते है । प्रार्थी वाहन मालिक नहीं होकर मुख्तार आम है, बिना रवन्ना व परमीट के बेरहमी से कूरतापूर्वक गौवंश को गोतस्करी के प्रयोजन से परिवहन करना अपराध धारा 3,5,6,8 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 एवं धारा 11 पशु कूरता (निवारण) अधिनियम 1960 का एवं धारा 5/180 एमवी एक्ट अधिनियम में अपराध प्रमाणित पाया गया । उद्योगनगर की प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान शेष नहीं है, किन्तु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुर्द किये जाने वाहन बोलेरो पिकअप M.P-68-G-0713 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

6. निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा